



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 519) पटना, मंगलवार, 28 अप्रील 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

21 अप्रील 2015

एस०ओ० 62, दिनांक 28 अप्रील 2015—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16/1993) की धारा-3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं :-

संशोधन

उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची के क्रम संख्या-28 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या 29 जोड़ी जाएंगी -

"29	प्लार्डबोर्ड, ब्लॉकबोर्ड, फ्लशडोर तथा इनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला लॉग, प्लैंक, विनियर तथा नॉन साल टिम्बर"।
-----	--

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-119/2014-1747)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 अप्रील 2015

एस०ओ० 63, एस०ओ० 62, दिनांक 28 अप्रील 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/विविध-119/2014-1748)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवि मित्तल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st April 2015

S.O. 62, dated 28th April 2015—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Schedule annexed to the said Act with immediate effect :-

Amendment

After Serial number 28 of the schedule annexed to the said Act, the following new serial number 29 shall be added -

“29	Plyboard, Blockboard, Flushdoor including log, plank, veneer and non-sal timber used for manufacture of Plyboard, Blockboard and Flushdoor”
-----	---

[(F.No. Bikri kar/vividh-119/2014-1747)]

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,**Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 519-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>